न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 162/2018/225 आरटीए

हरीसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. दलीप सिंह पि. मु. अमीचन्द जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पत्नि जयमलसिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्ण पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. संजय पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— असल रेस्पो0

6. दरियासिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. जयमलसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 23/2017 अनवानी हरीसिंह आदि बनाम दलीपसिंह आदि

उपस्थित :—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री अनिल सिंह खिचड़े अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक —03.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 व 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 का जवाब आने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर अपीलांट का आवेदन पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को प्रश्नगत भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार भादरा से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मंगाये जाने का आदेश किया जिस पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका पर ना जाकर हल्का पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट को ही उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रेषित कर दी जिस पर आपत्ति आने पर पुनः तहसीलदार द्वारा मौका पर ना जाकर आई0एल.आर. द्वारा एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट को ही उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रेषित कर दिया। इस प्रकार जब तहसीलदार से विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट तलब की थी स्वयं तहसीलदार हल्का द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति मे रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर विचारण न्यायालय को भिजवाई जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट दिनांक 20.11.17 व 12.03.18 को प्रस्तुत हुई वह पूर्ण नही है चूंकि इन दोनो रिपोर्ट मे रास्ता मु.न. 166 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे से उत्तर से दक्षिण अभिलेख मे रास्ता होना दर्ज किया है परन्तु इस रास्ता एवं मु.न. 165 के मध्य मैन माईनर अमरपुरा से चक 5 एपीएम की मोरी से मुख्य शाखा (खाला) निकलता है जो इस रास्ता के पूर्वी तरफ रास्ता के सामानान्तर उत्तर से दक्षिण लम्बा है। इसलिये अपीलांट/प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन हेतु मु.न. 165 के कि.न. 1 मे कोई रास्ता नही है। रिपोर्ट तहसील मे भी मु.न. 165 के कि.न. 1 मे कोई रास्ता लगता हो ऐसा कोई कथन नही है और ना ही विचारण न्यायालय ने यह माना मात्र मु.न. 165 का कि.न. 1 मु.न. 166 के कि.न. 5 से चिपता हुआ होना ही अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को मु.न. 165 के कि.न. 1 मे प्रवेश हेतु भी कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे यह कही भी अंकित नही किया कि अपीलांट को पहले से रास्ता उपलब्ध है बल्कि यह कहा है कि ''अगर प्रार्थी मुख्य सड़क अमरपुरा–सागड़ा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तो मु.न. 164 के कि.न. 7 से विकल्प प्रार्थी द्वारा चाहे गये विकल्प से अधिक सुविधाजनक है'' इस संबंध मे अपीलांट का यह कथन है कि अपीलांट को अगर उक्त विकल्प के अनुसार रास्ता दिया जाता है तो भी विचारण न्यायालय को मु.न. 164 के कि.न. 7 के काश्तकार रामसिंह व प्रतापसिंह पि. हेतराम जाति जाट को पक्षकार बनाते हुए उनका पक्ष सुनकर कोई आदेश पारित करना चाहिए था। वैसे मु.न. 147 के कि.न. 16 व मु.न. 148 के कि.न. 20 मे रास्ते मे आई भूमि के बदले भूमि अथवा डीएलसी दर के अनुसार राशि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 व 7 रेस्पो0 को अदा करने हेतु तैयार है तो रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता अपीलांट को दिये जाने ना तो कोई असुविधा है एव ना ही क्षति होती है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने से अपीलांट को अपनी भूमि मे प्रवेश हेतु कम दूरी तैय करनी होगी। विचारण न्यायालय के समक्ष

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जो नक्शा रिपोर्ट 12.03.18 के साथ प्रस्तुत हुआ है वह भी मौका अनुसार नही है जो अपीलाधीन निर्णय एवं नक्शा के अवलोकन से ही स्पष्ट है क्योंकि नक्शा मे जो सड़क अमरपुरा सागड़ा की दर्शाई गई है वह मु.न. 164 के कि.न. 8 के बिल्कुल चिपती हुई दर्शाई है जिसमे मिथ्या रूप से यह दर्शित होता है कि सड़क अपीलांट के मु.न. 164 के कि.न. 8 के बिल्कुल सटकर कर जा रही है परन्तु वास्तव मे ऐसा नही है अपीलाधीन निर्णय मे ही यह अंकित है कि 60 से 90 फुट की दूरी है इसके अलावा नक्शा मे मु.न. 166 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता के साथ साथ मैन माईनर अमरपुरा खाला है जो नही दर्शाई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय मौका की वास्तविक रिपोर्ट लिये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक अपास्त किया जाकर अपीलांट की भूमि मे आवागमन हेतु मौका कि वास्तविक रिपोर्ट तहसीलदार भादरा से अन्यथा स्वयं मौका निरीक्षण कर प्राप्त कर मु.न. 147 के कि.न. 16 व मु.न. 148 के कि.न. 20 एवं विकल्प स्वरूप मु.न. 164 के कि.न. 7 मे से रास्ता बाबत इस किला के खातेदारान को पक्षकार बनाकर अपीलांट की भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को पूर्व मे ही रास्ता मु.न. 166 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे से होते हुए प्राप्त है जो अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि के मु.न. 165 के कि.न. 1 मे प्रवेश करता है इसलिये दूसरा रास्ता नही दिया जा सकता है। अपीलांट को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिये रास्ता पहले से ही रिकार्ड मे अंकित होने और मौके पर मु.न. 166 कि.न. 5, 6, 15, 16,25 चालू होने के कारण आवागमन के काम मे ले रहा है। इसलिये किसी प्रकार का अपीलांट को नुकसान नही हो रहा है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति प्रस्तुत कर चक 9 जेएसएल के मु.न. 148 कि.न. 20/1 व मु.न. 147 के कि.न. 16 मे उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि '' धारा 251 ए आरटीए के तहत किसी भी पक्षकार को नवीन रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो आवश्यक आधार है 1. आत्यन्तिक आवश्यकता 2. वैकल्पिक रास्ता का अभाव। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी को अपने काश्त तक पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मु.न. 166 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 से उपलब्ध है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि के मु.न. 165 का कि.न. 1 मु.न. 166 के कि.न. 5 से चिपता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रार्थी मुख्य सड़कक अमरपुरा–सागड़ा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तो मु.न. 164 के कि.न. 7 से प्रार्थी की काश्त का मु.न. 164 का कि.न. 8 मात्र 60–90 फीट दूरी पर है, उक्त विकल्प प्रार्थी द्वारा चाहे गये विकल्प से अधिक सुविधाजनक है। प्रस्तावित रास्त बाबत आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दू के समर्थन मे प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, कथन, बहस पेश नही किया जिससे प्रार्थी की आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्ध हो सके।'' जबकि अपीलांट/प्रार्थी के कथनानुसार एवं संलग्न नक्शा रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अगर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो वैकल्पिक रास्ता से संबंधित काश्तकारान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रास्ते का प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वैकल्पिक रास्ता मु.न. 166 एवं मु.न. 164 मे दर्शित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता

के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रिपोर्ट के उपरांत वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति मे वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलांट/प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत प्रश्नगत रास्ता जो कि कि.न. 11, 20, 21 मे चाहा गया, पर पुनः विचार करते हुए तथा मु.न. 166 मे रिकार्डेड रास्ते की जांच करते हुए मुरब्बा नम्बर 166 व 164 मे वैकल्पिक रास्ता के संबंध मे विचार करते हुए वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 03.08.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official